(419)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी निग-3407-16

श्रीराम सिंह यादव शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति हुब्बलाल का पुरा, परसोना, तेहसील- व जिला भिण्ड-म०प्र० व्दारा सचिव संस्था विनोद सिंह यादव ।

दिनांक 30-9-16 श्री ... अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत। 30-9-16

114 / 30-9-16

30/9/16

------ प्रार्थी

बिरूध्द

१- शम्भू सिंह पुत्र दरोगा सिंह,

२- श्रीमती सोमवती देवी पत्नी शम्भू सिंह, निवासीगण ग्राम सरसोना, तेहसील व जिला भिण्ड-म०प्र० ।

---- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरूध्द आदेश तेहसीलदार महोदय, भिण्ड दिनांकी १६-०८-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ३/१५-१६-अ-२७ ।

श्रीमान जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं बोलता हुआ आदेश न होने से निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, प्रार्थी व्दारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न तो

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3407-एक/16 **जिला - भिण्ड**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	